यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, देवप्रयाग (हिंडोलाखाल), टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, देवप्रयाग (हिंडोलाखाल), टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड के माह अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील दत्त एवं श्री मुकेश कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.01.2019 से 16.01.2019 तक श्री एस॰ के॰ वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1॰ परिचयात्मकः इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है जिसमे लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: भौगोलिक अधिकार विकास खण्ड देवप्रयाग (हिंडोलाखाल) है तथा इकाई का क्रियाकलाप विकास खण्ड के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों मे शैक्षणिक गतिविधियों तथा उनके क्रियाकलापों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखना है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	आवंटन	व्यय	बचत/समर्पण (-)
2012-13	2202 माध्यमिक शिक्षा	110.18	110.16	0.02
2013-14	2202 माध्यमिक शिक्षा	16.17	15.46	0.71
2014-15	2202 माध्यमिक शिक्षा	62.54	57.52	5.02
2015-16	2202 माध्यमिक शिक्षा	82.56	77.04	5.52
2016-17	2202 माध्यमिक शिक्षा	135.92	85.79	50.13
2017-18	2202 माध्यमिक शिक्षा	162.22	183.24	(-) 21.02
2018-19 (दिस. 2018 तक)	2202 माध्यमिक शिक्षा	143.49	140.40	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹लाख मे)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्राप्त**		**व्यय**		**अधिक्य (+)**		**बचत (-)**	
		GoI	**State**	**GoI**	**State**	**GoI**	**State**	**GoI**	**State**
2015-16	-	-Nil-							
2016-17	-								
2017-18	-								
योग:									

(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन मे संलग्न समितियों एवं एन०जी०ओ का विवरण:

S.No	**Year**	**Name of Society/ NGO involved**	**Government expenditure through Society/NGO**
1	**2**	**3**	**4**
1	2015-16	-Nil-	
2	2016-17		
3	2017-18		

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा संल्गनक है।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र विकास खंड, देवप्रयाग (हिंडोलाखाल), टिहरी गढ़वाल है, लेखा परीक्षा मे नमूना लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखो को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, देवप्रयाग (हिंडोलाखाल), टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **मार्च 2015, मार्च 2016** तथा **मार्च 2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। कार्यालय स्तर पर योजनाओ का संचालन नहीं किया जाता है

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1: शासन के निर्देशानुसार खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयो के नियमित निरीक्षण के बावजूद विद्यालयो द्वारा विद्यालय विकास योजना (SIP) तथा निरीक्षण मे दिये गए निर्देशों का अनुपालन न किया जाना।

महानिदेशक, विद्यालई शिक्षा, उत्तराखंड द्वारा पुनर्गठित नवीन ढांचे के अनुरूप विभिन्न अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व विभाजन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी (अक्तूबर 2012) जिसके अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी के निम्न कार्य एवं दायित्व हैं:

(i) विकास खंड स्तर पर शिक्षा के अधिकार से वंचित आयु वर्ग 06 से 14 वर्ष के बच्चे का विद्यालयो मे आयु एवं स्तर के अनुसार पंजीकरण कराना, शिक्षा धारण एवं उनकी नियमित उपस्थिति का भौतिक सत्यापन करना;

(ii) विकास खंड स्तर पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत समस्त छात्रों को शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पुस्तके, स्टेशनरी, विद्यालय गणवेश, मध्याह्न भोजन तथा शासन एवं केंद्र सहायतित द्वारा दी जा रही विभिन्न आर्थिक सुविधाओं को समय पर उपलब्ध करवाना;

(iii) विकास खंड स्तर पर बैठको हेतु नोडल अधिकारी के दायित्यों का निर्वहन करना;

(iv) विकास खंड के अंतर्गत हाइ स्कूल एवं इंटर कालेजों का सप्ताह मे 02 दिन नियमित निरीक्षण करना;

(v) ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के क्रियान्वयन हेतु खंड परियोजना अधिकारी होगा;

(vi) विकास खंड के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण कार्यो की गुणवत्ता के प्रति उत्तरदाई होगा;

(vii) प्रशिक्षण संबंधी क्रियाकलापों का अनुश्रवण करना;

(viii) विकास खंड स्तर के समस्त राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो / राजकीय इंटर कालेजो के भौतिक संसाधनो का विवरण संकलित कर व्यवस्थित करेगा एवं

(ix) विकास खंड मे स्थित विद्यालयो के भवनो का सत्यापन एवं भवन निर्माण कार्यो की प्रगति से उच्च अधिकारियों को अवगत करना।

महानिदेशक, विद्यालई शिक्षा द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षणों के संबंध मे संख्यात्मक विश्लेषण आख्या प्रेषित किए जाने हेतु पुनः निर्देशित किया गया था (सितम्बर 2018)।

इकाई की लेखापरीक्षा (जनवरी 2019) मे खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व के निर्वहन संबंधी अभिलेखो/ अनुश्रवण पत्रावली, अनुश्रवण संबंधी तैयार किए गए प्रतिवेदनो के अवलोकन मे देखा गया कि प्रतिवेदन एक निश्चित प्रारूप मे तैयार कर ऑन लाइन प्रेषित किए गए थे। प्रतिवेदनों मे शिक्षा के अधिकार से वंचित बच्चों का आयु एवं स्तर के अनुसार विद्यालयो मे पंजीकरण संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं थी। प्रशिक्षण संबंधी अनुश्रवण प्रतिवेदन

अभिलेखो मे उपलब्ध नहीं थे। माह नवम्बर/ दिसम्बर 2018 के 15 प्रतिवेदनो के अवलोकन मे देखा गया कि विद्यालयो (20 *प्रतिशत*) द्वारा पूर्व निरीक्षित निर्देशों के पालन नहीं किए गए थे तथा विद्यालयो (33 *प्रतिशत*) द्वारा निर्मित विद्यालय विकास योजना पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं की गयी थी।

प्रशिक्षण एवं निर्माण के संबंध मे निरीक्षण सूचना मांगे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है तथा लेखापरीक्षा अवधि मे खंड के अधिकार क्षेत्र मे आने वाले विद्यालयो मे कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2: **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की संदर्शिका के अनुसार अपेक्षित योजनाओ का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन न होना।**

राज्य परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखंड द्वारा जारी संदर्शिका के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर निर्धारित प्रशासनिक ढाँचे के अनुसार विकास खंड स्तर पर विकास खंड परियोजना अधिकारी होगा जो पदेन खंड शिक्षा अधिकारी होगा।

संदर्शिका के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम एवं शैक्षिक योजनाए निम्नवत हैं:

- **विज्ञान प्रयोगशाला एवं उपकरण:** प्रत्येक हाई स्कूल स्तर पर एक समेकित (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान व गणित) विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी एवं संबन्धित उपकरण क्रय किए जाएंगे;
- **शौचालय/ पेयजल सुविधा :** प्रत्येक विद्यालय में ब्लॉक वर छात्रों , छात्राओ, अध्यापको , कार्यालय स्टाफ और आवश्यकता वाले बच्चो के लिए शौचलाय उपलब्ध कराये जाएंगे;
- प्रत्येक विद्यालय मे **पेयजल सुविधा** भी उपलब्ध कराई जाएगी;
- **शैक्षिक भ्रमण** : प्रत्येक वर्ष कक्षा वार छात्र छात्राओ को नजदीकी तीर्थ स्थानों, कारखानों, पिकनिक स्थानों, म्यूज़ियम , शोध संस्थानों, वैज्ञानिक संस्थानों आदि का भ्रमण कराया जाएगा।
- **अध्यापक शैक्षिक भ्रमण:** श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अध्यापको के शैक्षिक भ्रमण की व्यवस्था की जाएगी
- **प्रयोगशाला सहायक:** प्रत्येक विद्यालय हेतु एक प्रयोगशाला सहायक नियुक्त किया जाएगा। जो कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मानक के अनुसार रखा जाएगा।
- **स्थानीय कला, शिल्प , काष्ठ कला , व्यवसायिक प्रशिक्षण , नवासारी कार्यक्रम:** बच्चो मे कला शिल्प के कौशलों को विकसित करने के उद्देश्य से स्थानीय व्यवसाय , उद्योग आधारित प्रशिक्षणों की व्यवस्था की जाएगी

इकाई की लेखा परीक्षा (जनवरी 2019) मे उपरोक्त के संबंध मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि खंड मे संचालित किए जा रहे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के दो विद्यालयो मे प्रयोगशाला नहीं है। छात्रों के भ्रमण के संबंध मे एवं कला शिल्प संबंधी प्रशिक्षण के संबंध मे खंड स्तर पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी जिससे प्रशिक्षण की प्रभाविता का आंकलन नहीं किया जा सका।

यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3– लेखापरीक्षा को धनराशि ₹125.62 लाख के बिल/वाऊचर (Bills/Vouchers) आदि प्रस्तुत नहीं किया जाना।

कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, देवप्रयाग के आच्छादित लेखापरीक्षा अवधि 4/12 से 12/18 के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि वर्ष 2012-13 मे धनराशि ₹110.16 लाख (वेतन भत्ते - ₹109.85 लाख एवं अन्य व्यय - ₹0.31 लाख) एवं वर्ष 2013-14 मे धनराशि ₹15.46 लाख (वेतन भत्ते - ₹10.62 लाख एवं अन्य व्यय - ₹4.84 लाख) (कुल व्यय ₹125.62 लाख) व्यय किया गया परंतु लेखापरीक्षा मे उक्त अवधि से संबन्धित व्यय के बिल/वाउचरस, रोकड़-बही, बिल रजिस्टर, ट्रेजरी रजिस्टर आदि अन्य संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा को वर्ष 2012-13 व 2013-14 से संबन्धित किसी भी प्रकार के अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए जाने के कारणों को इंगित किए जाने पर कार्यालय के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व मे खंड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय एक ही था, बाद मे उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय अलग होने के कारण अभिलेखो का विखराव हो गया तथा उस समय के कर्मचारी की सेवानिवृति/स्थानांतरण होने के कारण वर्तमान मे पुराने अभिलेख होने के कारण उपलब्ध नहीं हो पा रहे है। उपलब्ध होने पर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अभिलेख उपलब्ध नहीं किए जाने के कारण उक्त अवधि मे व्यय की गई धनराशि ₹125.62 लाख का लेखापरीक्षा मे सत्यापन नहीं किया जा सका।

यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1- धनराशि ₹ 0.86 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहना।

वित्तीय नियमानुसार स्वीकृत/निर्गत एवं व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्त कर निदेशालय, शासन एवं महालेखाकर को उपलब्ध करा दिया जाय जिस वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृत एवं अवमुक्त किया गया हो।

कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, हिंडोलाखल, देवप्रयाग के बजट/ व्यय विवरण संबंधी अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि कार्यालय द्वारा (DDO कोड - 4504) मुख्य लेखा शीर्षक 2202-02-800-18-00 के अंतर्गत 2014-15 मे साइकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों- प्रधानाचार्यों को विद्यालय के छात्राओं को साइकिल वितरित करने हेतु धनराशि ₹ 85,500/-निर्गत किया गया था (अप्रैल 2015)।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि उपरोक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा की तिथि (जनवरी 2019) तक कार्यालय द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों- प्रधानाचार्यों से वितरित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है जबकि धनराशि अवमुक्त एवं व्यय किए जाने के उपरांत लगभग चार वित्तीय वर्ष का समय व्यतीत होने जा रहा है। लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त के बारे मे इंगित किए जाने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारणों से अवगत कराने हेतु पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि विद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है एवं विद्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा एवं आगामी लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त धनराशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्त कर लिया जाना चाहिए था तथा इसे अगले उच्च अधिकारी एवं निदेशालय/शासन को प्रेषित किया जाना चाहिए था।

अतः धनराशि ₹ 0.86 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर**	**Stan**
इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------------शून्य-----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी, देवप्रयाग (हिंडोलाखाल), टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये

-शून्य-

2. **सतत् अनियमितताएः**

-शून्य-

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1°	श्री जयपाल सिंह बांगड़ी	खण्ड शिक्षा अधिकारी(प्रभारी)	03.11.2007 से 29.08.2012
2°	श्री बी0 एल0 भार्गव	खण्ड शिक्षा अधिकारी(प्रभारी)	30.08.2012 से 10.07.2012
3°	श्री कैलाश चन्द्र मैठानी	खण्ड शिक्षा अधिकारी(प्रभारी)	11.07.2014 से 24.08.2014
4°	श्री सुदर्शन सिंह बिष्ट	खण्ड शिक्षा अधिकारी	25.08.2014 से 05.10.2016
5°	श्री शिव चरण सिंह पुंडीर	खण्ड शिक्षा अधिकारी(प्रभारी)	06.10.2016 से 09.12.2016
6°	श्री वीरेन्द्र सिंह बांगड़ी	खण्ड शिक्षा अधिकारी(प्रभारी)	10.12.2016 से 16.02.2017
7°	श्री विनोद कुमार	खण्ड शिक्षा अधिकारी(प्रभारी)	17.02.2017 से 18.06.2018
8°	श्री रमेश सिंह तोमर	खण्ड शिक्षा अधिकारी(प्रभारी)	18.06.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, देवप्रयाग (हिंडोलाखाल), टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा), "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.